इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

वार्षिक रिपोर्ट (2017-2018)

सुषमा स्वराज भवन, डॉ. जोस पी रिज़ल मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
दिल्ली- 110021
www.mea.gov.in/icm.htm
icm@mea.gov.in

विषय-सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
I	पृष्ठभूमि	3
II	संस्था के बहिर्नियम	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासी संरचना	6
V	वर्ष2017-2018 में किए गए कार्यकलाप	8
VI	प्रशिक्षुता कार्यक्रम (2017-18)	13
VII	वित्त और प्रशासनिक मुद्दे (2017-2018)	14
VIII	शासी परिषद के सदस्य	16
IX	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के कर्मचारी	17
X	चित्र	18
XI	बैलेंस शीट	20-21

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

1. पृष्ठभूमि

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) की एक स्वायत्त निकाय और विचार-मंच के रूप में कार्य करती है। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन की स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र भारत के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए अनुकूल और सुसंगत प्रतिक्रिया हेतु संसूचित नीति संरचना करने और सामरिक मध्यवर्तन सुकर करने में सहायक होने के लिए अनुभवजन्य, विश्लेषी और नीति संबंधी शोध करने और श्रेष्ठ पद्धतियों के दस्तावेजीकरण की परियोजनाओं का कार्य करता है।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन भारत में अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है जो विशेष रूप से प्रवासियों के कल्याण और संरक्षण सहित भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और शोध करने के लिए समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय का अनुदान-सहायता निकाय है और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के वित्त वर्ष 2017-2018 के लेखों की प्रमाणन लेखापरीक्षा 7 से 22 जुलाई 2020 तक की थी।

2. संस्था के बहिर्नियम

संस्था के बहिर्नियम में इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के दैनिक के संचालन के नियम और विनियम प्रावधानित हैं।

2.1 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कार्य:

I. विदेशों में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर डाटाबेस बनाना और उनका रखरखाव करना।

II. विदेशीश्रमबाजारोंमेंश्रमआपूर्ति की कमी और उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय कामगारों द्वारा अपेक्षित कौशल सेटों को चिन्हित करना।

III. व्यवसायिक निकायों और निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

IV. श्रमिकोंकीविभिन्नश्रेणियोंकेलिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू करना।

V. राज्यजनशक्तिविकासनिगमों, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

VI. अंतर्राष्ट्रीयश्रमबाजार के चलन और गतिशीलता, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं, अन्य श्रम प्रेषित देशों की श्रेष्ठ प्रथाओं को बेंचमार्क करने और नीतिगत पहलों/कार्य-नीतियों की अनुशंसा करने संबंधी अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण करना और समर्थन

VII. इस प्रयोजन के लिए कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक कल्याण सहायता प्रदान करना।

2.2 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार मुख्य उद्देश्य

भारतीयों के विदेशी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घकालिककार्य-नीतियों को तलाशने और निष्पादित करने के लिए एक' विचार-मंच' के रूप में काम करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के साथ-साथ विभिन्न श्रम प्रेषण और प्राप्त करने वाले देशों की कार्य-नीतियों का सतत से निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए राष्ट्रीय संरचना बनाना और उसे पोषित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों और भारतीय युवाओं के लिए उदीयमान विदेशी नियोजन के अवसरों को चिन्हित करने के लिए अध्ययन करना।

विशिष्ट राज्यों/देश और लिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अंगीकार करना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन करना।

निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदत्त नियोजन सेवाओं के संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को 'उपभोक्ता' के रूप में स्थान देना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रक्षेपित करना।

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर, केंद्र विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति और प्रवासन शासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन प्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार और संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सुरक्षित, कानूनी और मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे

4. शासी संरचना

केंद्र में एक दो स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय और एक कार्यकारी निदेशालय है। शासी निकाय की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) करते हैं।

अन्य पदेन-सदस्य हैं -

क. सचिव, आर्थिक मामलें विभाग (वित्त मंत्रालय),

ख. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

ग. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और

घ. तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव रोटेशन द्वारा।

ड़. सरकार द्वारा बाहरी प्रत्याशियों के रूप में चार विशेषज्ञ।

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ और स्टाफ है। वर्तमान में, संयुक्त सचिव (ओआईए-आई) विदेश मंत्रालय,इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के सीईओ हैं।

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संस्था के बहिर्नियम में शासी परिषद संरचित नीतियों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान/निगरानी, वित्त और प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन की शासी परिषद की वित्त वर्ष 2017-18 में 7 (सात) बैठक हुईं। बैठकों की तिथियां और स्थान नीचे दर्शाई गई है:

बैठक	दिनांक	स्थान
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली
V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली

4.2 कर्मचारी

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में, इस समय 3 कर्मचारी हैं। संगठन की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से अनुबंध आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। उन्हें एक या दो साल का अनुबंध दिया जाता है, जो निष्पादन के आधार पर नवीनीकृत किए जाते हैं।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन दो कार्य-क्षेत्रों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासी और प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण पर शोध में प्रशिक्षु भी नियुक्त करता है।

5.वर्ष 2017-18 में किए गए कार्यकलाप

क. प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ सहयोग

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने मई 2016 में, प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम)के साथ सहयोग किया। आईओएमके सहयोग से विकसित प्रशिक्षण मैनुअल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और प्रवासी भारतीय केंद्र, दोनों ने 5 राज्यों में टीओटी कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशालाओं की विस्तृत सूची तालिका 1 में देखी जा सकती है।

तालिका 1: टीओटी कार्यशालाएँ

क्रम सं.	क्रम सं	शहर	कार्यशाला की तिथि	साथी [समग्र रूप से OIA-I प्रभाग का पर्यवेक्षण]	मास्टर ट्रेनर्स की संख्या (आईसीएम द्वारा प्रमाणित)
1.	तेलंगाना	हैदराबाद	30-31 मई 2017	आईसीएम, आईओएम, टॉमकॉम	45
2.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	11-12 अक्टूबर 2017	आईसीएम, आईओएम, ऐपीऍनआरटी	100
3.	तेलंगाना	सिर्सिल्ला	25-26 नवंबर 2017	आईसीएम, यूऍन वीमेन, टॉमकॉम	17
4.	आंध्र प्रदेश	राजहमुन्द्री	27-28 नवंबर 2017	आईसीएम, यूऍन वीमेन, ऐपीएसएसडीसी	40
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली	6-8 दिसंबर 2017	आईसीएम, ऍनएसडीसी	32
6.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	4-5 जनवरी 2018	आईसीएम, आईओएम, ओमकेप	115
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	5-6 फ़रवरी 2018	आईसीएम, आईओएम, यूपीएफसी ओमरा	83
8.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	26-27 मार्च 2018	आईसीएम, आईओएम, यूपीएफसीओमरा	75
				कुल	**507**

* आईओएम - इंटरनेशनल आर्गेनाईजेशनफॉर माइग्रेशन, टॉमकॉम- तेलंगाना ओवरसीज मैनपावर कंपनी, एपीएनआरटी- आंध्र प्रदेश अनिवासी तेलुगु सोसायटी, एपीएसएसडीसी- आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम, एनएसडीसी- राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन, ओएमकैप- ओवरसीज मैनपावर कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश, यूपीएफसी ओमरा- उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ओवरसीज मैनपावर रिक्रूटमेंट एजेंसी। वित्त वर्ष 2017-2018 में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कुल 507 प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया गया था जो प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण देने के योग्य हैं।

ख़. घरेलू क्षेत्र के कामगारों (डीएसडब्ल्यू) पर यूएनवुमैन के साथ सहयोग।

वर्ष 2016-2017 में, इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने "भारत से महिला घरेलू कामगारों का प्रवासन: सुरक्षित गतिशीलता के लिए क्षमताओं का निर्माण" परियोजना को लागू करने के लिए यूएनवुमैन के साथ सहयोग किया। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के प्रमुख प्रवासन क्षेत्रों जहां से अधिकांश महिला घरेलू सेवा कामगार (डीएसडब्ल्यू) भेजे जाते हैं, में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत, महिला डीएसडब्ल्यू के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर एक विशेष पुस्तिका भी तैयार की गई है। 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' कार्यक्रम और लिंग और सुरक्षित प्रवासन पर 2 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्षमता वाले प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करने के लिए दोनों राज्य आंध्र प्रदेश के दो जिलों में आयोजित किए गए थे। सूची तालिका 1 में देखी जा सकती है।

ग. प्रवासी कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण का कार्यान्वयन

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से प्रवासी कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रवासी कौशल विकास योजना के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के सहयोग से तैयार 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' मैनुअल पर आधारित था। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। ब्यौरा नीचे तालिका 1 में देखा जा सकता है।

घ.अकादमिक सम्मेलनों का प्रायोजन

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने अकादमिक संस्थानों को अनुदान दिया और 7-8 मार्च 2018 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित 'प्रवासन, प्रवासी और राष्ट्र निर्माण: अवसर और चुनौतियां' पर सम्मेलन आयोजित करने में भागीदारी की।

ड़. भारत से घरेलू सेवा कामगार: भर्ती प्रथाओं का अध्ययन और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से उनके उत्प्रवास के कारण:

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम को शोध अध्ययन करने के लिए 6,99,050 रुपये का अनुदान दिया। यह अध्ययन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच जिलों में क्षेत्र दौरे के जरिए किया जा रहा है। इस अध्ययन में महिला प्रवासी कामगारों/घरेलू कामगारों के प्रवासन चक्र का निर्माण करने और कौशल उन्नयन, प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण, देश-विशिष्ट नियमावली, जागरूकता और मीडिया अभियानों और जमीनी स्तर के हितधारकों के साथ काम करने के संदर्भ में कार्रवाई योग्य सिफारिशें देने का प्रयास किया जा रहा है। इस अध्ययन के 2018 तक पूरा होने की आशा है।

च.प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर संदर्भ सामग्री

प्रवासी कामगारों के प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण को सुगम बनाने के उद्देश्य से इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ने निम्नलिखित संदर्भ सामग्री तैयार की थी-

क्र. सं.	मद	भाषा
1	प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण (पुस्तक रूप में) पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का मैनुअल (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के सहयोग से)	हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी
2	प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर हैंडबुक	हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु
3	प्रवासी भारतीयों के कल्याण और संरक्षण पर पुस्तिका	तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और मलयालम
4	महत्वाकांक्षी महिला घरेलू श्रमिकों पर पुस्तिका (संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के सहयोग से)	तेलुगु और अंग्रेजी
5	घरेलू कामगारों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर दो ऑडियो विज्ञापन	तेलुगु और अंग्रेजी
6	सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर पोस्टर (सामान्य श्रेणी के कामगारों और घरेलू क्षेत्र के कामगार दोनों के लिए)	अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु

छ. प्रवासन और गतिशीलता पर साझी कार्यसूची पर यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग

भारत और यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक साझी कार्यसूची पर संयुक्त घोषणापत्र पर 29 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रवासन और गतिशीलता पर साझी कार्यसूची काफी हद तक दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पर एक व्यापक और लचीला दृष्टि दस्तावेज है। प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता सीएडीएम के कार्यान्वयन के लिए एक समग्र संचालन तंत्र प्रदान करती है। चौथी भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता की बैठक अप्रैल 2017 में ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी। इस बैठक में तकनीकी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने और परस्पर हित के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ब्रसेल्स स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट (आईसीएमपीडी)

यूरोपीय संघ की ओर से परियोजना को लागू कर रहे हैं, जबकि भारत की ओर से इस परियोजना के लिए इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन कार्यान्वयन साझेदार है।

ज. भावी कार्य-क्षेत्र

आगे बढ़ते हुए, इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रयासों और नई अनुसंधान गतिविधियों और साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। भावी कार्य-क्षेत्रों में शामिल हैं; प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशालाएं, अन्य क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया) में प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण मॉड्यूल का विकास, उभरते श्रम बाजारों पर शोध, कौशल कमी, भर्ती प्रथाओं पर डेटा विश्लेषण आदि। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित क्षेत्रों पर बहुपक्षीयों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ अपना सहयोग भी जारी रखेगा। अकादमिक सहयोग के बारे में इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित मामलों पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और अन्य विचार-मंच के साथ साझेदारी करेगा।

6. इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन 2017-18 में प्रशिक्षुता कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2017-2018 में संलग्न सात प्रशिक्षु श्री फिरोज खान, श्री अनुराग बाबू, सुश्री ईश्वरी कृष्णदास, सुश्री सुम्बुल मशाड़ी, श्री जमशेद भागवागर, श्री आशीष प्रकाश और सुश्री समाह रफीक थे।

7. वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2017-18

क. वित्त वर्ष 2017-2018की लेखापरीक्षा

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन की 22 मई 2015 को हुई शासी परिषद की 5वीं बैठक में मेसर्स अंतिमा एंड गोयल को तीन वर्ष की अवधि के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2017-18 की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली है, और वित्त समिति की 27 सितंबर 2018 को हुई 5वीं बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

ख. विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम पंजीकरण

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन का विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (2010) के अंतर्गत 1 दिसंबर 2016 को पंजीकरण हुआ है जिसका नंबर # 231661660 है। पंजीकरण पांच वर्ष के लिए वैध है। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन को वित्तीय वर्ष के दौरान सिंडिकेट बैंक, अकबर भवन शाखा, नई दिल्ली में नामित / अनन्य बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त थी।

ग. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन एक अनुदान सहायता निकाय है जो पूर्णत: विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित है। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इसके पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के लिए पिछले आवंटन का धन उपलब्ध था।

वित्त वर्ष 2017-18 का प्राप्तियां और भुगतान लेखा निम्नानुसार है

प्राप्तियां / आय	**राशि (रु)**	**व्यय/भुगतान**	**राशि (रु)**
अनुदान-सहायता	-	*जामिया मिलिया इस्लामिया को अग्रिम*	*2,25,000*
बैंक का ब्याज *इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन लेखा: 20,74,770* *यूरोपीय संघ लेखा: 15,20,803*	*35,95,704*	*सीडीएस को अग्रिम*	*2,09,715*

ओटीएफ लेखा: 130			
अन्य आय	-	*जेएमजी एंड एसोसिएट्स*	*58,320*
उप कुल	***35,95,704***	*टीडीएस*	*1,90,073*
		अनुदान-सहायता	*3,22,09,604*
		स्टाफ को वेतन	*16,67,867*
		प्रशिक्षु के लिए वृत्तिका	*9,99,179*
		वाहन किराया प्रभार	*87,240*
		पीडीओटी कार्यक्रम	*8,39,997*
		भर्ती और विज्ञापन खर्चे	*45,133*
		आउटसोर्स कर्मचारी	*1,56,396*
		यात्रा खर्चे	*3,20,328*
		मुद्रण और स्टेशनरी	*97,326*
		विविध खर्चे	*1,19,772*
		लेखा प्रभार	*1,06,575*
		उपदान खर्चे	*3,23,556*
		राष्ट्रीय प्रदर्शनी	*11,580*
		उप कुल	***3,76,67,661***
बैंक *आईसीएम लेखा: 5,34,63,833* *ईयू लेखा: 4,58,05,322* *ओटीएफ लेखा: 3,310* *नकदी: 2,000*	*9,92,74,465*	**बैंक** *आईसीएम लेखा: 5,00,80,067* *ईयू लेखा: 1,51,16,271* *ओटीएफ लेखा: 3,212* *नकदी: 2,958*	*6,52,02,508*
कुल	**10*,28,70,169***	***कुल***	***10,28,70,169***

8. शासी परिषद 2017-18 के सदस्य

पदेन सदस्य

1. सचिव, सीपीवी एंड ओआईए, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष
2. सचिव, आर्थिक मामलें विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
3. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
5. सीईओ, इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन – सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-I, विदेश मंत्रालय)

राज्य सरकारें

1. मुख्यसचिव, राजस्थानसरकारअथवाप्रतिनिधि
2. मुख्यसचिव, उत्तरप्रदेशसरकारअथवाप्रतिनिधि
3. मुख्यसचिव, आंध्रप्रदेशसरकारअथवाप्रतिनिधि

नामांकित विशेषज्ञ

1. श्रीश्यामकेजीपरांडे, महासचिव, एआरएसपी(नईदिल्ली)
2. डॉ.बी.आर.शेट्टी, सीईओ, एनएमसीहेल्थकेयरएंडयूएईएक्सचेंज (अबूधाबी)
3. डॉ.प्रदीपकुमारसरमा, अशोकालेमेलसनफेलोएंडईडी, ग्रामीणविकासकेंद्र, (नईदिल्ली)
4. श्रीखांडेराववकांड, वरिष्ठनिदेशक, ओरेकल (यूएसए)

9. इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के कर्मचारी

1.	डॉ. टी.एल.एस.भास्कर	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री राकेश रंजन	अनुसंधान सहायक
3.	सुश्री मधु थरेजा	लेखा अधिकारी
4.	श्री फ़िरोज़ खान	प्रशिक्षु
5.	श्री अनुराग बाबू	प्रशिक्षु
6.	सुश्री ईश्वरी कृष्णदास	प्रशिक्षु
7.	सुश्री सुम्बुल मशहदी	प्रशिक्षु
8.	श्री जमशेद भगवगर	प्रशिक्षु
9.	श्री आशीष प्रकाश	प्रशिक्षु
10.	सुश्री समाह रफीक	प्रशिक्षु
11.	मैसर्स एम.एस. एंटरप्राइजिज/स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (प्राइवेट) लिमिटेड	कार्यालय परिचर

10. चित्र

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशालाओं के चित्र

लखनऊ में आयोजित कार्यशाला, 5-6 फरवरी 2018

राजमुंदरी में आयोजित कार्यशाला, 27-28 नवंबर 2017

प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर मैनुअल और पुस्तिका के चित्र

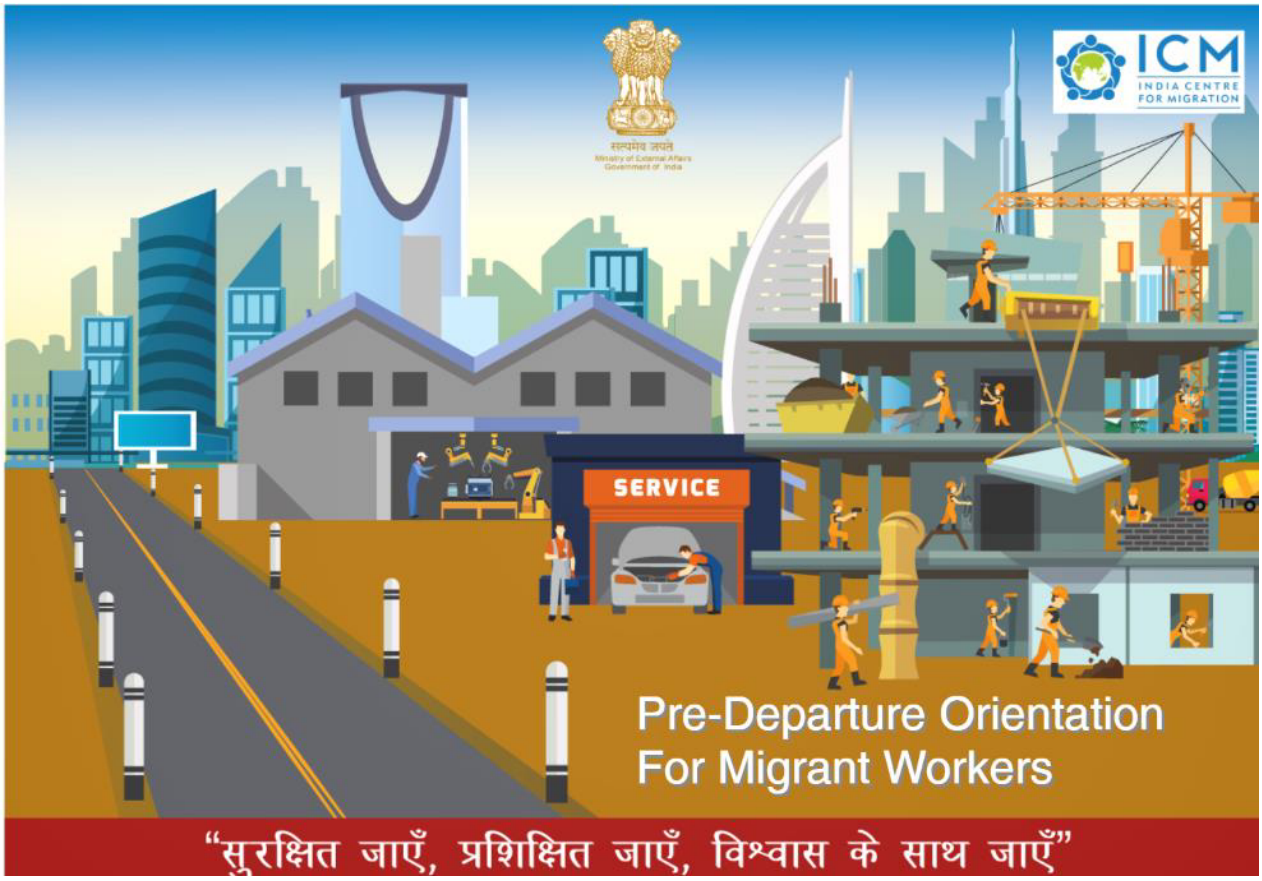

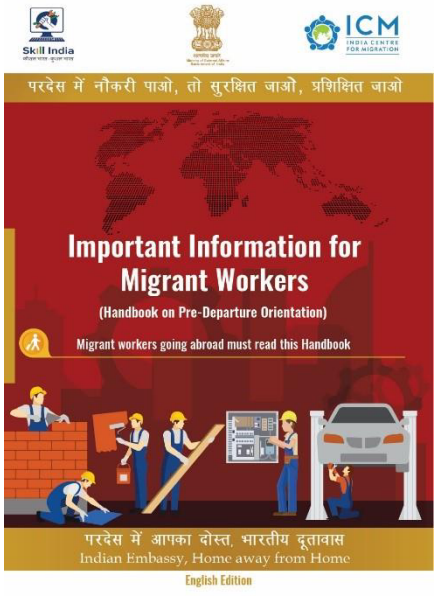

11.बैलेंसशीट

भारतीय प्रवासन केंद्र

1011, 10वां तल, अनुबर भवन

चाणक्य पुरी, नई दिल्ली -110021

31-मार्च-2018 तक का तुलन पत्र

	विवरण	नोट सं		31-मार्च-2018 तक		31-मार्च-2017 तक	
I.	निधियाँ का स्रोत						
1	कायिक निधि			24,69,964	24,69,964	24,69,964	24,69,964
2	अनुदान						
	अनुदान सहायता	1		6,73,81,868	6,73,81,868	10,12,76,180	10,12,76,180
3	वर्तमान देयताएँ						
	(क) अन्य वर्तमान देयताएँ	2		1,44,235		81,900	
	(ख) सुरक्षा जमा राशि			5,000	1,49,235	5,000	86,900
	कुल				**7,00,01,067**		**10,38,33,044**
II.	निधियों का प्रयोग						
1	गैर-मौजूदा परिसंपति						
	(क) स्थायी परिसंपति	3		13,24,030		15,18,765	
	संलग्न सूची के अनुसार						
	(ख) ऋण एवं अग्रिम	4		32,33,748		27,99,033	
	(ग) जमा	5		2,40,781	47,98,559	2,40,781	45,58,579

2	मौजूदा परिसंपत्ति (क) नकद एवं बैंक शेष	6	6,52,02,508	6,52,02,508	9,92,74,465	9,92,74,465
	कुल			**7,00,01,067**		**10,38,33,044**

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अब तक के हमारे रिकॉर्ड के अनुसार)
अंतिमा और गोयल
की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट
ह/-

एन.के. जिंदल
(साझेदार)
एफ.सी.ए एम. सं. - 91028
एफआरएन सं. : 009062N
स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 04.07.2017

भारतीय प्रवासन केंद्र
ह/-

श्री मनीष गुप्ता
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)